17वीं लोक सभा
उपलब्धियों के 2 वर्ष

लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली, 2021

राष्ट्र सेवा में 17वीं लोक सभा
दो वर्षों की यात्रा

लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी राष्ट्र की संसद वहां के लोगों की आस्था और शासन प्रक्रिया में भागीदारी के लिए प्रतिबद्धता का जीवंत प्रतीक होती है। हमारी संसद के दोनों सदन नागरिको की संप्रभु इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाले पवित्र संस्थान हैं। इन्हें संविधान द्वारा राष्ट्र के भविष्य का मार्गदर्शन करने का अधिदेश प्राप्त है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि सदस्यों को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए सभी प्रयास किए जाएं ताकि वे संसद के सदनों के कार्यवाही में प्रभावी रूप से भागीदारी कर सकें और जनता के प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें।

लोक सभा की कार्यवाही में सदस्यों की सार्थक और प्रभावी भागीदारी भारत के सशक्त और जीवंत लोकतंत्र की आधारशिला है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में माननीय अध्यक्ष, श्री ओम बिरला के नेतृत्व में लोक सभा ने पिछले दो वर्षों में सभी सदस्यों को संसदीय लोकतंत्र में अपेक्षित स्वतंत्र और निष्पक्ष वाद-विवाद और चर्चाओं के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया है।

माननीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में सभी मामलों पर संवेदनशील तरीके से विचार करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इससे सभा की कार्यवाही में सदस्यों की भागीदारी बढ़ी है, प्रभावी भी हुई है। इनमें सदस्यों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने हेतु बेहतर शोध सहायता, ग्रन्थालय संबंधी सक्रिय सेवाएं, कल्याण, आवास और त्वरित चिकित्सा सहायता आदि उपाय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, लोक सभा के कामकाज में अधिक कुशलता और पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले दो वर्षों के दौरान बड़े कालखंड में कोविड-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न अभूतपूर्व चुनौतियों की स्थिति में ये उपाय समयोचित और सुविचारित सिद्ध हुए । इन सभी प्रयासों का समेकित परिणाम विगत वर्षों की तुलना में 17वीं लोक सभा के प्रदर्शन और उत्पादकता में वृद्धि के रूप में सामने आया है।

मुझे विश्वास है कि वर्तमान लोक सभा की यह यात्रा भविष्य के लिए एक प्रतिमान सिद्ध होगी। नि:संदेह, प्रदर्शन के उच्च मानक भारत की जनता की सेवा हेतु वर्तमान और भविष्य की लोक सभा के सदस्यों को उच्च लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उत्साहित करते रहेंगे और परिणामस्वरूप भारत की संसद और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश की जनता का विश्वास सुदृढ़ होगा।

महासचिव
लोक सभा

अधिक भागीदारी
उच्च कार्य निष्पादन

25 मई 2019 को गठित 17वीं लोक सभा की पहली बैठक 17 जून 2019 को हुई थी। अब तक इसके पांच सत्र आयोजित हो चुके हैं। निर्धारित समय के पश्चात भी काम करने और बैठकों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों और संसद सदस्यों के बीच सर्वसम्मति बनाने हेतु माननीय अध्यक्ष द्वारा किए गए अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप सभा में अधिक कार्य का निष्पादन हुआ है, जो वर्तमान लोक सभा की पहचान रही है। माननीय सदस्यों ने कोरोना महामारी की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सदन में देर रात तक कार्य किया। इसके परिणामस्वरूप 17वीं लोक सभा के पहले 5 सत्रों के दौरान औसत कार्य निष्पादन 122.2% रहा है, जो हाल के वर्षों में सर्वाधिक है। (चित्र 1)।

- **17वीं लोक सभा के पहले 5 सत्रों के दौरान औसत कार्य निष्पादन 122.2% रहा है।**
- **यह हाल के वर्षों में सर्वाधिक है।**

कार्य निष्पादन

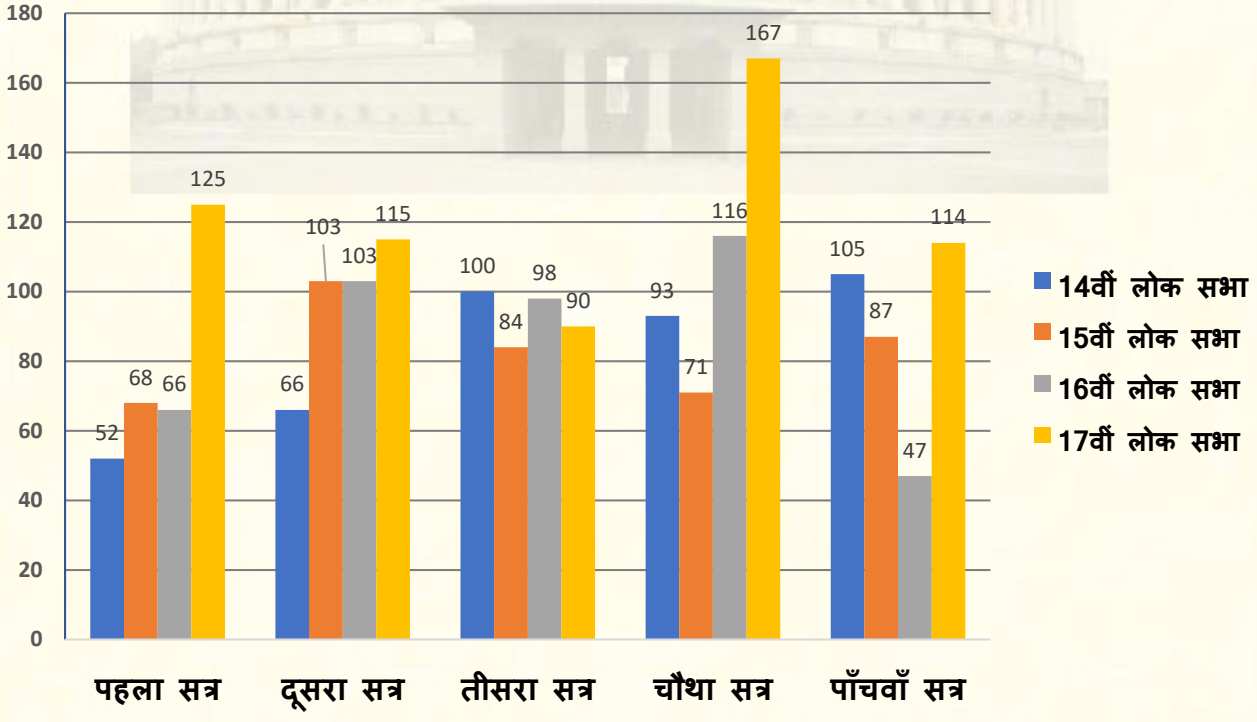

14वीं, 15वीं, 16वीं और 17वीं लोक सभा के प्रथम पाँच सत्रों के दौरान कार्य उत्पादकता (प्रतिशत में)

चित्र. 1

सर्वसम्मति के परिणाम
अधिक बैठकें, उच्च कार्य निष्पादन

माननीय सदस्यों के सामूहिक प्रयासों तथा सभी राजनीतिक दलों के सहयोग से 17वीं लोक सभा में अनुकूल कार्य वातावरण का निर्माण हुआ। सदस्यों की सक्रिय भागीदारी के कारण ही कोरोना संक्रमण के समय में भी सदन में उच्च कार्य निष्पादन सुनिश्चित हो सका। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान लोक सभा के प्रथम पांच सत्रों में सदन की कुल 114 बैठकें आयोजित की गईं तथा कुल 712.93 घंटों तक सदन की कार्यवाही चली। 14वीं, 15वीं और 16वीं लोक सभा की तुलना में यह बेहतर प्रदर्शन है (चित्र - 2)।

- **17वीं लोक सभा के पहले पांच सत्रों में 114 बैठकें।**
- **14वीं, 15वीं और 16वीं लोक सभा के पहले पांच सत्रों में हुई बैठकों से अधिक।**

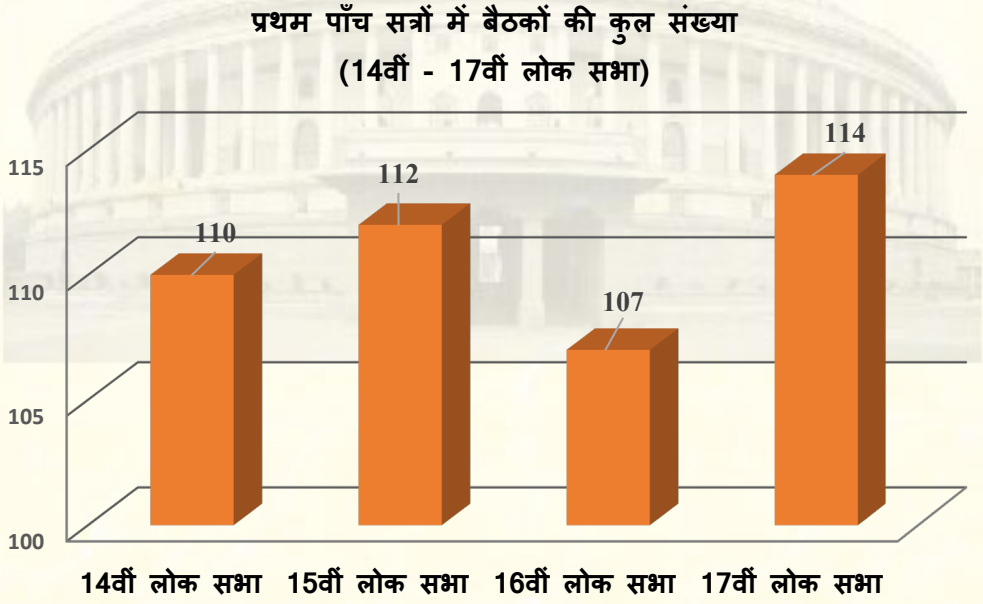

चित्र. 2

- **17वीं लोक सभा के पहले पांच सत्रों के दौरान बैठकों की कुल अवधि 712.93 घंटे।**
- **14वीं, 15वीं और 16वीं लोक सभा के दौरान बैठकों की समयावधि से अधिक।**

अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन
एक नई शुरुआत

19 जून 2019 को लोकसभा अध्यक्ष पद का दायित्व सँभालने के बाद सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए किये गए प्रयासों के कारण इस लोक सभा में अभूतपूर्व रूप से कार्य निष्पादन हुआ है। अभी तक पांच सत्रों में माननीय सदस्यों की व्यापक भागीदारी के साथ 107 विधेयक पारित किये गए है तथा सदन की उत्पादकता 122 प्रतिशत रही है।

निर्वाचन के बाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों का अभिवादन करते हुए

अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता एवं अन्य सदस्य शुभकामनाएं देते हुए

माननीय लोक सभा अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने के बाद से व्यवधानों/स्थगन के कारण सदन का न्यूनतम समय व्यर्थ हुआ है। चौदहवीं लोक सभा के दौरान 112 घंटे 29 मिनट और पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान 170 घंटे 25 मिनट की तुलना में 17वीं लोक सभा में अभी तक मात्र 73 घंटे और 44 मिनट का समय व्यर्थ हुआ है।

- **17वीं लोक सभा के पहले सत्र में सदन की बैठक अभूतपूर्व रूप से 480 घंटे तक चली।**
- **इन 37 बैठकों के दौरान व्यवधानों/स्थगनों के कारण सदन का समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं हुआ।**

विधि निर्माण को प्राथमिकता

भारत जैसे संवैधानिक लोकतंत्र में संसदों का मुख्य कार्य देश में शासन चलाने हेतु विधि का निर्माण करना है। माननीय अध्यक्ष, लोक सभा, श्री ओम बिरला के मार्गदर्शन में 17वीं लोक सभा के दौरान सर्वाधिक कार्य हुआ है। 17वीं लोक सभा के पहले पांच सत्रों के दौरान सरकारी विधेयकों को पुर:स्थापित करने और पारित करने के संबंध में बेहतर विधायी कार्यों को निम्न चित्र 3 में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।

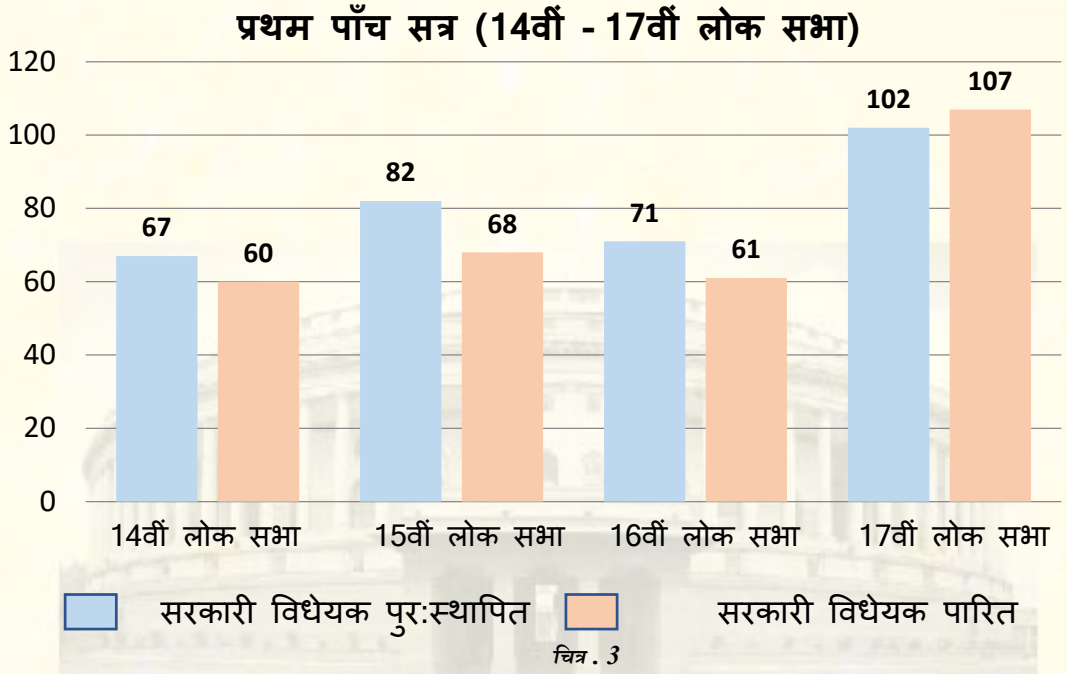

चित्र . 3

17वीं लोक सभा के पहले सत्र के दौरान 33 सरकारी विधेयकों को पुर:स्थापित किया गया और 35 सरकारी विधेयकों को पारित किया गया । यह संख्या किसी भी लोक सभा के पहले सत्र में सर्वाधिक थी। सदन ने सरकारी विधेयकों पर लगभग 124 घंटे 40 मिनट चर्चा की।

17वीं लोक सभा के दूसरे सत्र के दौरान 18 सरकारी विधेयकों को पुर:स्थापित किया गया और 14 सरकारी विधेयकों को पारित किया गया। सदन ने सरकारी विधेयकों पर चर्चा करने में लगभग 54 घंटे और 31 मिनट का समय लगाया।

विधि निर्माण को प्राथमिकता

17वीं लोक सभा के तीसरे सत्र के दौरान 18 सरकारी विधेयकों को पुर:स्थापित किया गया और 15 सरकारी विधेयकों को पारित किया गया। सरकारी विधेयकों पर लगभग 14 घंटे और 53 मिनट चर्चा की गयी।

17वीं लोक सभा के प्रथम पांच सत्रों के दौरान 107 सरकारी विधेयक पारित किए गए, जो एक बड़ी उपलब्धि है।

17वीं लोक सभा के चौथे सत्र के दौरान 16 सरकारी विधेयकों को पुर:स्थापित किया गया और 25 सरकारी विधेयकों को पारित किया गया। सरकारी विधेयकों पर 33 घंटे 24 मिनट का समय लगा।

17वीं लोक सभा के पांचवें सत्र के दौरान 17 सरकारी विधेयकों को पुर:स्थापित किया गया और 18 सरकारी विधेयकों को पारित किया गया। सरकारी विधेयकों पर 35 घंटे 5 मिनट का समय लगा।

सदस्यों की भागीदारी में अभूतपूर्व वृद्धि

17वीं लोक सभा में विधायी कार्यों में माननीय सदस्यों की अधिकतम भागीदारी रही है। इस लोक सभा में सरकारी विधेयकों पर चर्चा में कुल 1744 सदस्यों की भागीदारी रही जो अभी तक उल्लेखनीय रही है।

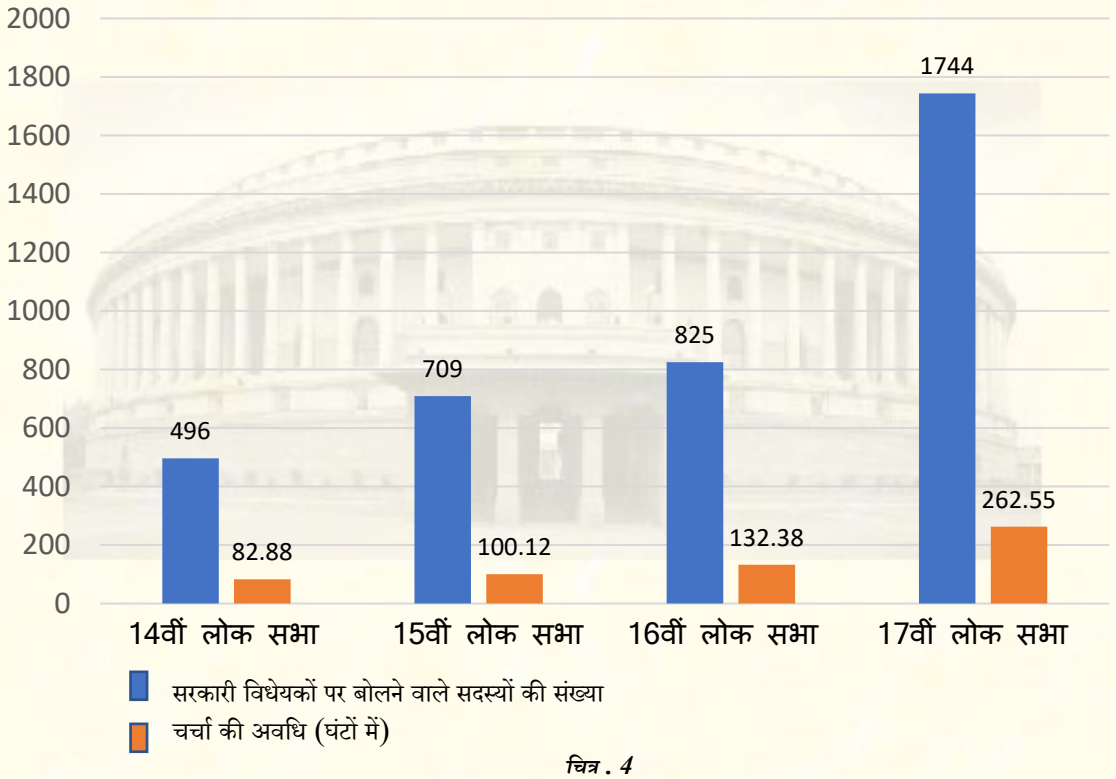

चित्र . 4

- सभा के विधायी कार्य के संचालन में सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु माननीय अध्यक्ष ने 17वीं लोक सभा में अनुकूल वातावरण तैयार किया।
- सरकारी विधेयकों पर विचार व्यक्त करने वाले सदस्यों की अधिक संख्या और इन पर चर्चा में व्यतीत किए गए कुल समय में यह स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित हुआ।
- आंकड़ों से पता चलता है कि 17वीं लोक सभा के पहले पांच सत्रों के दौरान पिछली तीन लोक सभाओं की इसी अवधि की तुलना में सदस्यों की भागीदारी और चर्चा पर व्यतीत किए गए समय की अवधि में अभूतपूर्व वृद्धि हुई (चित्र 4)।

प्रश्न काल
कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर

श्री ओम बिरला
माननीय लोक सभा अध्यक्ष

इस बात के महत्व को समझते हुए कि कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु प्रश्न काल, लोक सभा के सदस्यों के पास उपलब्ध एक प्रभावी साधन है, माननीय अध्यक्ष ने यह सुनिश्चित किया कि प्रश्न काल के दौरान मौखिक और लिखित उत्तरों हेतु सदस्यों के अधिकतम प्रश्नों को शामिल किया जाए। सभा में ऐसे प्रश्नों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है जिनका मौखिक रूप से उत्तर दिया गया है । 14वीं लोक सभा से 17वीं लोक सभा तक की अवधि में, जहां 14वीं, 15वीं और 16वीं लोक सभा के दौरान प्रति बैठक मौखिक उत्तरों का औसत क्रमशः 3.07, 2.96 और 4.34 था, वहीं 17वीं लोक सभा के दौरान यह औसत बढ़कर 5.37 हो गया। (चित्र. 5)

- **17वीं लोक सभा के दौरान प्रति बैठक औसत 5.37 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिये गए।**
- **14वीं, 15वीं और 16वीं लोक सभा की अवधि के दौरान दिये गए उत्तरों की तुलना में सर्वाधिक।**

प्रश्न जिनका मौखिक उत्तर दिया गया (प्रति बैठक औसत)

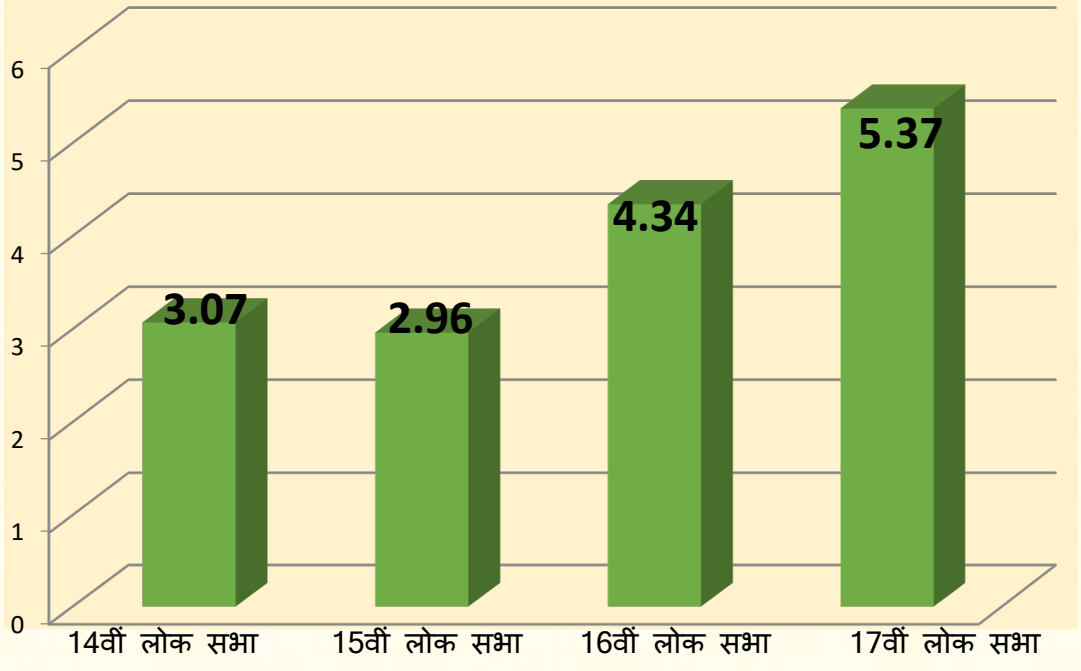

चित्र. 5

स्वीकृत प्रश्नों की संख्या में वृद्धि

इसी तरह, 14वीं, 15वीं और 16वीं लोक सभा के पहले पांच सत्रों के दौरान प्रति बैठक जिन सदस्यों के प्रश्न स्वीकार किए गए, उनकी औसत संख्या क्रमशः 321.25, 333.75 और 373.25 थी, जबकि 17वीं लोक सभा के दौरान इसी अवधि में यह औसत संख्या बढ़कर 394.25 हो गई । (चित्र.7)

14वीं, 15वीं और 16वीं लोक सभा की तुलना में 17वीं लोक सभा में जिन सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार किया गया, उनकी औसत संख्या 394.25 थी जो अब तक की सर्वाधिक है।

सदस्यों की औसत संख्या, जिनके प्रश्न प्रति बैठक स्वीकार किए गए

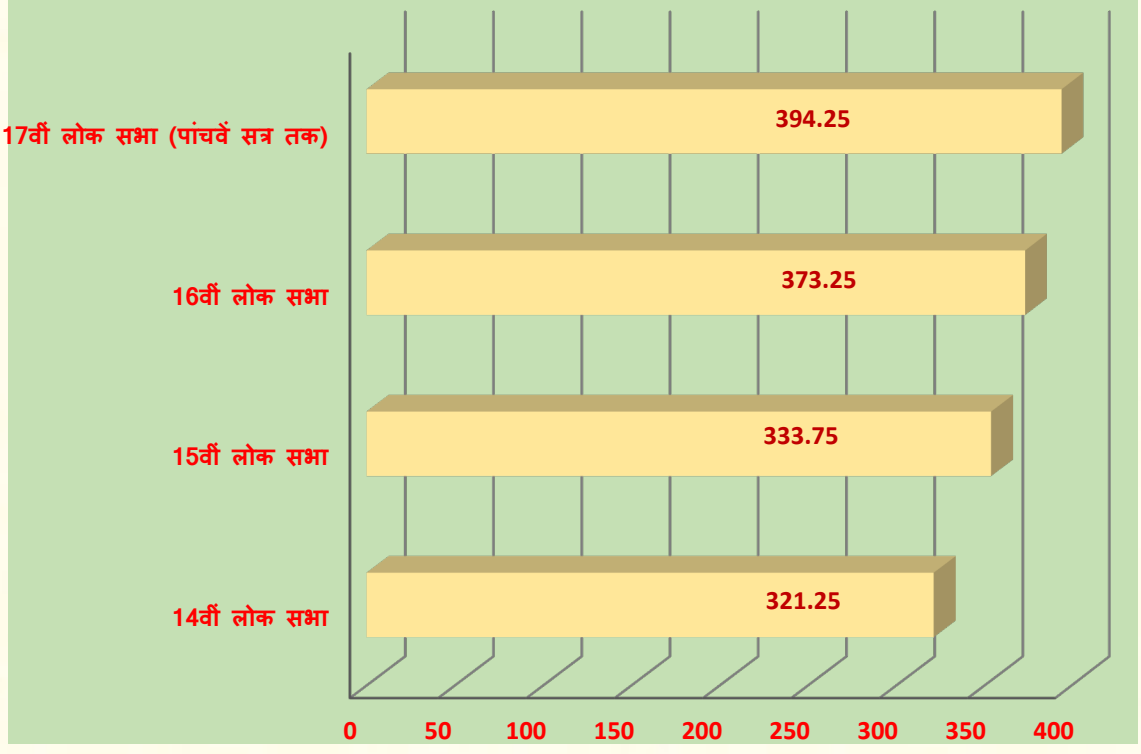

चित्र . 6

नियम 377
कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामलों के संबंध में केंद्र सरकार के मंत्रियों द्वारा लोक सभा सदस्यों को दिए गए उत्तरों के प्रतिशत में 17वीं लोक सभा के दौरान अत्यधिक वृद्धि हुई है। वर्तमान लोक सभा के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए उत्तरों का प्रतिशत 89.82% है, जो 15वीं और 16वीं लोक सभा में क्रमशः 72.17% और 58.44% की तुलना में काफी अधिक है। सभा में उठाए गए लोक महत्व के मामलों के संबंध में माननीय अध्यक्ष की निगरानी के कारण कार्यपालिका का अधिकतम सहयोग प्राप्त करना लोक सभा की सफलता का एक प्रमाण है।

प्रथम 5 सत्रों के दौरान नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए/ पटल पर रखे गए मामलों के उत्तरों का प्रतिशत

(15वीं से 17वीं लोक सभा)

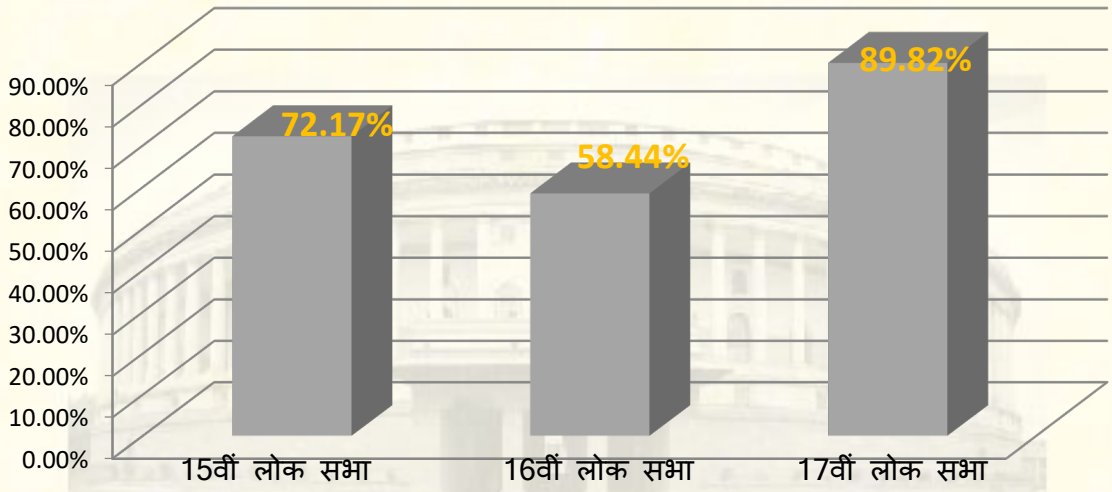

चित्र . 7

17वीं लोक सभा के दौरान नियम 377 के अधीन उठाए गए मामलों के संबंध में मंत्रियों द्वारा दिए गए उत्तरों का प्रतिशत 89.82% था, जो 14वीं, 15वीं और 16वीं लोक सभा के पहले पांच सत्रों के दौरान दिए गए उत्तरों की तुलना में काफी अधिक था।

नियम 377 से संबंधित मामले: माननीय अध्यक्ष की नई पहलें

- **अब सप्ताह में पांच दिन मामलों को उठाया जा सकता है जबकि इससे पूर्व सप्ताह में केवल चार दिन ही मामलों को उठाया जा सकता था ।**
- **सभा में उठाए गए मामलों के संबंध में, समयबद्ध तरीके से की गई कार्रवाई संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकारी मंत्रालयों/विभागों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है ।**
- माननीय सदस्यों को 'सदस्य पोर्टल' के माध्यम से, नियम 377 के तहत मामले का स्वीकृत पाठ इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक दिन पहले उपलब्ध कराया जाता है।
- नियम 377 के तहत उठाए गए/सभा पटल पर रखे गए मामलों के संबंध में मंत्रालयों से उत्तर प्राप्त करने सहित उन मामलों से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं के इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन हेतु तैयार किया गया सॉफ्टवेयर अब कार्य कर रहा है ।

शून्य काल के दौरान अधिकतम सदस्यों की भागीदारी

शून्य काल सदस्यों को लोक महत्व के अविलंबनीय मामलों को उठाने और उन्हें कार्यपालिका के ध्यान में लाने का एक विशिष्ट अवसर प्रदान करता है। इसलिए सदस्यों द्वारा शून्य काल को महत्व दिया जाता है। शून्य काल के महत्व को देखते हुए, माननीय अध्यक्ष ने अधिक से अधिक संसद सदस्यों को सभा में मामलों को उठाने का अवसर प्रदान करने के लिए अत्यधिक प्रयास किए हैं। इसके लिए लोक सभा की बैठक का समय बढ़ाकर देर रात तक सदन चलाया गया है।

- **17वीं लोक सभा के पहले 5 सत्रों में लोक महत्व के अविलंबनीय 3389 मामले उठाए गए, जिनका औसत लगभग 29.72 मामले प्रति दिन रहा।**
- **यह 14वीं, 15वीं और 16वीं लोक सभा में इसी अवधि के दौरान क्रमशः 9.86, 9.27 और 24.19 मामले प्रतिदिन की तुलना में अधिक।**

शून्य काल के दौरान उठाए गए अविलंबनीय लोक महत्व के मामले (औसत/प्रति दिन/प्रथम 5 सत्र)

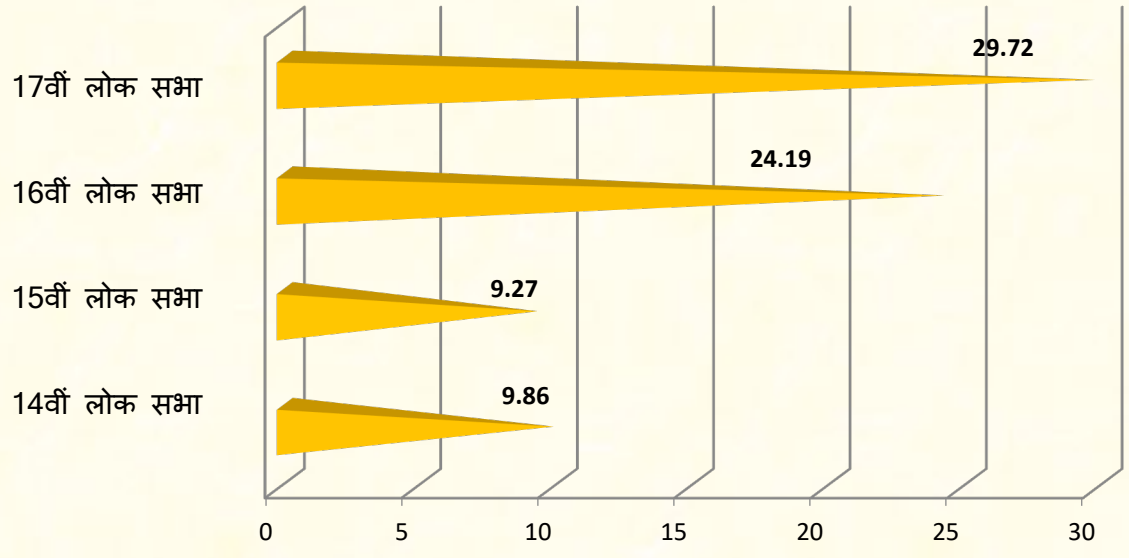

चित्र. 8

18 जुलाई 2019 को शून्यकाल के दौरान एक ही दिन में सर्वाधिक 161 सदस्यों ने मामले उठाए

लोक सभा के इतिहास में एक सत्र में उठाए गए सर्वाधिक मामले	पहले सत्र के दौरान 1066 मामले
लोक सभा के इतिहास में प्रतिदिन औसत उठाए गए सर्वाधिक मामले	दूसरे सत्र के दौरान प्रतिदिन औसत 47 मामले।
शून्य काल में लगा रिकॉर्ड समय	24 घंटे और 41 मिनट, दूसरे सत्र में प्रतिदिन औसत 1 घंटा और 14 मिनट का समय दिया गया।
किसी भी लोक सभा के पहले वर्ष में उठाए गए रिकॉर्ड मामले	17वीं लोक सभा के पहले वर्ष के दौरान 2436 मामले उठाए गए।
किसी भी लोक सभा के पांचवें सत्र के दौरान उठाए गए सर्वाधिक मामले	17वीं लोक सभा के पांचवें सत्र के दौरान 583 मामले उठाए गए, जो सभी पूर्व लोक सभाओं के पांचवें सत्र में उठाए गए मामलों की तुलना में सर्वाधिक है।

शून्य काल के दौरान उठाए गए मामलों के प्रबंधन और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने का कार्य अंतिम चरण में है। इससे शून्य काल के दौरान उठाए गए मामलों पर मंत्रालयों से उत्तर प्राप्त करने सहित विभिन्न प्रक्रियाओं के इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन में मदद मिलेगी।

डिजिटल भविष्य की ओर

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार शत-प्रतिशत प्रश्नों की ई-नोटिस प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। 16वीं लोक सभा के अंतिम सत्र में 44.22 प्रतिशत प्रश्नों की ई-सूचनाएं प्राप्त हुई. जिसका प्रतिशत 17वीं लोक सभा के पांचवें सत्र के दौरान बढ़कर 90.36 प्रतिशत हो गया है।

17वीं लोक सभा के तीसरे सत्र से लोक सभा के होम पेज पर 'सभा के कार्य में संसद सदस्यों की भागीदारी' लिंक बनाया गया है और इस लिंक के अंतर्गत 17वीं लोक सभा के पहले सत्र से प्रश्न काल के दौरान संसद सदस्यों की भागीदारी के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है।

17वीं लोक सभा के पांचवें सत्र में सदस्यों से 90.36 प्रतिशत प्रश्नों की ई-सूचनाओं की प्राप्ति 16वीं लोक सभा के अंतिम सत्र में 44.2 प्रतिशत प्रश्नों की ई-सूचनाओं की प्राप्ति से कहीं अधिक।

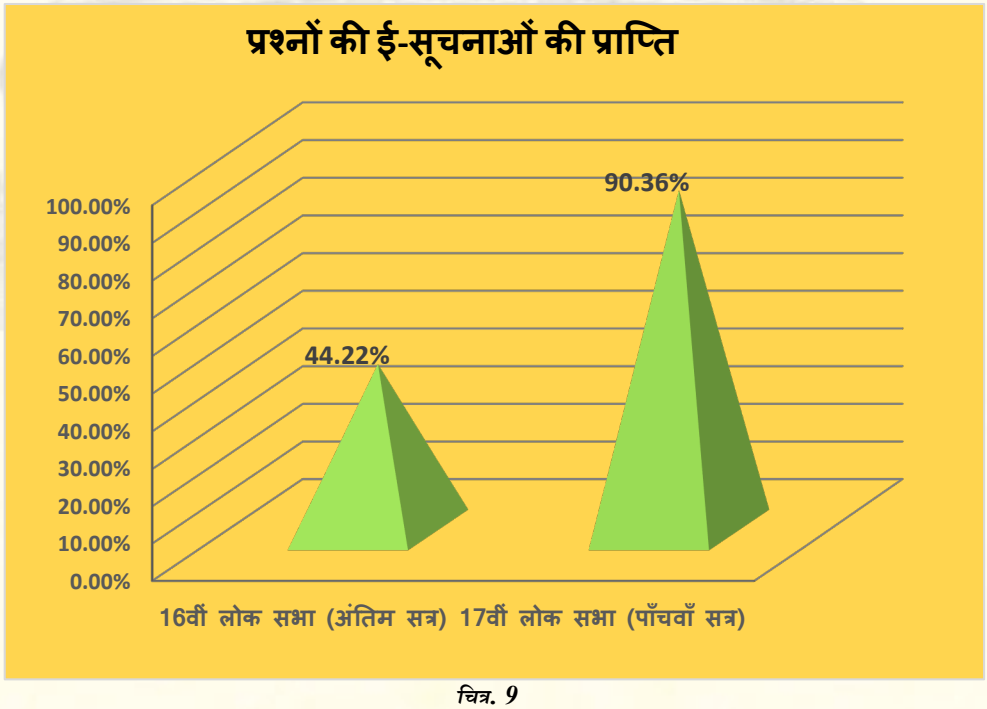

चित्र. 9

• 17वीं लोक सभा के प्रथम सत्र से, तारांकित प्रश्नों के ई-उत्तरों को प्रातः 09:00 बजे सदस्य ई-पोर्टल पर उपलब्ध कराया जा रहा है । पूर्व में, इन उत्तरों को प्रातः 10:00 बजे उपलब्ध कराया जा रहा था, माननीय सदस्यों को उत्तरों का अध्ययन करने और प्रश्न काल के दौरान अनुपूरक प्रश्नों को तैयार करने के लिए अब और अधिक समय मिलता है।

• 17वीं लोक सभा के पांचवें सत्र के दूसरे भाग से किसी कार्यदिवस के लिए सूचीबद्ध माननीय सदस्यों के प्रश्नों से संबंधित एसएमएस अलर्ट की सेवा शुरू की गई है।

कोविड-19
अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए विशेष उपाय

कोविड - 19 के इस अभूतपूर्व संकट के दौरान, सभा ने कोविड प्रोटोकोल का पालन करते हुए देर रात तक बैठक की और विधायी और अन्य कार्य निपटाने का प्रतिमान स्थापित किया।

संसद भवन में मास्क पहने हुए सदस्य

कोविड-19 के बावजूद 17वीं लोक सभा के चौथे सत्र में सभा की उत्पादकता 167% रही जो ऐतिहासिक है।

• सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए, लोक सभा और राज्य सभा दोनों के कक्षों/दीर्घाओं में गठबंधनों/दलों को सीटें आवंटित की गई थीं और सदस्यों को केवल उनके लिए चिन्हित की गई सीटों पर बैठने की सलाह दी गई थी ।

• 17वीं लोक सभा के चौथे सत्र के दौरान दोनों सदनों की बैठकों के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया था; प्रातः 09:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक राज्य सभा और अपराह्न 3:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक लोक सभा की कार्यवाही का समय निर्धारित था।

• लोक सभा और राज्य सभा के कक्षों और उनकी दीर्घाओं के बीच लगाई गई श्रव्य और दृश्य प्रणालियों को एकीकृत किया गया था और भाषांतरण सुविधा के साथ समायोजित किया गया था

• सीटों पर साउंड कंसोल, ईयरफ़ोन उपलब्ध कराये गए और लोक सभा की दीर्घाओं में माइक्रोफोन लगाए गए।

• राज्य सभा कक्ष और लोक सभा तथा राज्य सभा की दीर्घाओं में भी एलईडी स्क्रीन स्थापित की गई ।

• सीटों के बीच वास्तविक अवरोध बनाने के लिए लोक सभा कक्ष में पंक्तियों और सीटों के बीच पॉलिकार्बोनेट शीटें लगाई गई थीं।

• सेन्सर आधारित सेनेटाइजर मशीनों और वॉटर डिस्पेन्सर के साथ साथ कागज के डिस्पोज़बल ग्लास समुचित स्थानों पर उपलब्ध कराए गए

प्रक्रियागत नवाचार और पहल

श्री ओम बिरला
माननीय लोक सभा अध्यक्ष

एक नया **निर्देश** जारी किया गया है कि कोई भी सदस्य सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के 3 से अधिक विधेयक पुरःस्थापित नहीं कर सकता, ताकि अधिक संख्या में ग़ैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पर विचार किया जा सके।

सदन से संबंधित मामलों में सम्पूर्ण उत्तर प्राप्त करने के लिए मंत्रालयों/ विभागों से नियमित संवाद ।

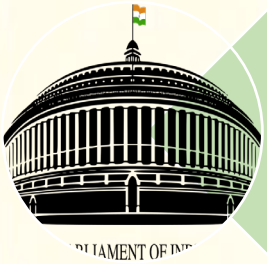

अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अब लोक सभा के 2 सदस्यों और 1 निदेशक की रैंक के लोक सभा सचिवालय के अधिकारी की उपस्थिति में सूचनाओं का बैलेट किया जाता है ।

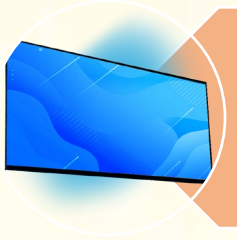

संसद सदस्यों को समन जारी करने और सूचनाओं को सभापटल पर रखने आदि के बारे में जानकारी के संबंध में आई एंड सीसी के माध्यम से सूचित किया जाता है ।

संसद में प्रभावी वित्तीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष के निर्देशन में सचिवालय के कार्यकरण में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा विवेकसम्मत सरकारी व्यय एवं डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विगत दो वर्षों के दौरान अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनसे न केवल वित्तीय प्रबंधन से संबंधित विभिन्न नियमित गतिविधियों में लगने वाले समय की बचत हुई है अपितु वित्तीय बचत भी हुई है ।

कोविड काल में माननीय संसद सदस्यों ने PM-CARES कोष में अपने वेतन का योगदान दिया तथा एक वर्ष तक अपने वेतन और भत्तों में 30 प्रतिशत तक की कटौती के लिए स्वीकृति दी।

व्यय की निगरानी के परिणामस्वरूप हुई बचत का ब्यौरा

17वीं लोक सभा

2019-20	2020-21
151.44	249.54

*आंकड़े करोड़ रुपये में

कागज के उपयोग को कम करने और कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल के रूप में सभी कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2020-21 से फॉर्म-16 इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान किया जा रहा है । इस पहल के कारण हर वर्ष 25000 पृष्ठों की बचत हुई ।

संसद सदस्यों के कल्याण के लिए उठाए गए कदम

माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि हमारे संसद सदस्यों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएं, ताकि वे बिना किसी व्यवधान अथवा बाधा के सदन की कार्यवाही में भाग ले सकें और अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व कर सकें। माननीय अध्यक्ष के विजन के परिणामस्वरूप मौजूदा आवासीय/लॉजिस्टिक सुविधाओं में सुधार हुआ है और माननीय सदस्यों के लिए और नई सुविधाएं सम्मिलित की गई हैं ।

माननीय प्रधानमंत्री ने 23.11.2020 को माननीय अध्यक्ष की उपस्थिति में वर्चुअल कांफ्रेंस के माध्यम से डॉ. बी.डी. मार्ग पर फ्लैट्स का उद्घाटन किया ।

माननीय प्रधानमंत्री ने 19 अगस्त 2019 को नॉर्थ एवेन्यू के डुप्लेक्स फ्लैट्स का उद्घाटन किया।

आवासीय सुविधाएं

- **डुप्लेक्स फ्लैट्स** - 19 अगस्त 2019 को, माननीय प्रधानमंत्री ने नॉर्थ एवेन्यू में माननीय संसद सदस्यों के लिए **36 डुप्लेक्स फ्लैट्स** का उद्घाटन किया। नॉर्थ एवेन्यू के पुनर्विकास के **अगले चरण** का काम भी **शुरू कर दिया** गया है।
- **डॉ. बी.डी. मार्ग पर फ्लैट** - माननीय अध्यक्ष के अथक प्रयासों और व्यक्तिगत निगरानी के माध्यम से **संसद सदस्यों** के लिए **76 फ्लैटों** का निर्माण किया गया है और 23.11.2020 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इनका उद्घाटन किया गया ।
- **बी.के.सिंह मार्ग की पुनर्विकास परियोजना - भविष्य में लोक सभा के निर्वाचन क्षेत्रों** की परिसीमन योजना के तहत संसद सदस्यों की संख्या में भावी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, माननीय संसद सदस्यों के उपयोग के लिए **184 आवासों (टाइप-सात) के निर्माण की योजना** बनाई गई है ।
- **पारगमन (ट्रांसिट) आवास** - नवनिर्मित वेस्टर्न कोर्ट एनेक्सी में नवनिर्वाचित संसद सदस्यों को स्थायी आवास के आवंटन से पहले वहाँ उनके शीघ्र अस्थायी निवास की व्यवस्था किए जाने से उन्हें बहुत सहायता मिली है और साथ ही इससे अस्थायी आवास पर होने वाले खर्च में **लगभग 22 करोड़ रुपये** की कमी आई है ।
- **वेस्टर्न कोर्ट एनेक्सी में बहुउद्देशीय हॉल** - माननीय संसद सदस्यों के उपयोगार्थ वेस्टर्न कोर्ट एनेक्सी में एक बहुउद्देशीय हॉल बनाया गया है ।
- लोक सभा के सदस्यों को आवास का शीघ्र आवंटन सुनिश्चित करने के लिए कई उद्देश्यपूर्ण कदम उठाए गए ।

गुणवत्ता युक्त खान पान सेवाओं की शुरुआत

सब्सिडी समाप्त करने और खान पान सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सामान्य प्रयोजनों सम्बन्धी समिति (GPC) द्वारा संसद भवन परिसर में खान पान सेवा को आई टी डी सी को सौंपने का निर्णय लिया गया । आई टी डी सी को कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है। इस बदलाव से सरकारी कोष में लगभग 8 से 9 करोड़ रूपए की बचत हो रही है।

आईसीटी का उपयोग

- **सूचना और संचार केंद्र (आईसीसी) -** माननीय अध्यक्ष की पहल पर, **माननीय सदस्यों** को चौबीसों घंटे **जानकारी** और सुविधा **प्रदान करने के लिए** सूचना और संचार केंद्र की स्थापना की गई है।
  - सूचना और संचार केंद्र की स्थापना के बाद से माननीय संसद सदस्यों (लोक सभा) को लगभग **99,850 कॉल और 51,200 एसएमएस/संदेश** भेजे गए, जिनमें **2020 में लॉकडाउन की अवधि के दौरान 15,000 से अधिक कॉल** शामिल हैं, जिनमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। अब तक माननीय संसद सदस्यों से विभिन्न मुद्दों पर करीब **2000 कॉल** आ चुके हैं।
  - पार्टी नेताओं को लोक सभा में अगले दिन विचार और चर्चा के लिए सूचीबद्ध विधेयकों और **'कार्य सूची'** के बारे में सूचित किया जाता है ।
  - सूचना और संचार केंद्र द्वारा सदस्यों को **सत्र** और साथ ही **अंतर-सत्रावधि** के दौरान **महत्वपूर्ण और तत्काल जानकारी** दी जाती है।
- **लॉकडाउन के दौरान विशेष प्रावधान -** माननीय अध्यक्ष की पहल पर, सूचना और संचार केंद्र के लैंडलाइन टेलीफोन नंबरों को तुरंत अधिकारियों के मोबाइल नंबर के साथ कॉन्फ़िगर किया गया, ताकि **माननीय सदस्यों को चौबीसों घंटे सहायता** प्रदान की जा सके । माननीय सदस्यों और उनके कर्मचारियों द्वारा माननीय सदस्यों की चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति के मामलों के साथ-साथ **कोविड से संबंधित सहायता** के लिए भी सूचना और संचार केंद्र से संपर्क किया गया ।
- **कोविड से संबंधित इमरजेंसी के लिए व्यापक डाटाबेस -** माननीय अध्यक्ष की पहल पर, माननीय सदस्यों के टेलीफ़ोन नंबरों के अलावा, सदस्य के पीएस/पीए और कर्मचारियों के फोन नंबर को डाटा बेस में रखा गया है, ताकि तत्काल सूचना दी जा सके।
- **सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली समितियां -** संसदीय समितियों को बैठक, पृष्ठभूमि टिप्पण, प्रारूप प्रतिवेदनों, पीपीटी सहित कार्य सूची पत्रों, आदि के परिचालन से संबंधित सभी सूचनाओं के लिए एसएमएस, ई-पोर्टल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

21वीं सदी के भारत के लिए एक नया संसद भवन

17वीं लोक सभा के दौरान 10 दिसंबर, 2020 को एक नए संसद भवन का निर्माण आरंभ करने की ऐतिहासिक पहल की गई। 21वीं सदी के हमारे सांसदों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस नए भवन को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित किया जाएगा। इसके अलावा, निकट भविष्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के पश्चात संसद सदस्यों की संख्या में संभावित वृद्धि होने पर भी संसद की कार्यवाही में भागीदारी को और अधिक सुलभ बनाने के लिए इस नए संसद भवन में पर्याप्त स्थान होगा। नए भवन में ऊर्जा के संरक्षण, जल की खपत में कमी, अपशिष्ट पदार्थों के पुनः उपयोग और पुनःचक्रण तथा स्वदेशी वास्तुकला की विशेषताओं को संजोए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया है। नया संसद भवन भारत की स्वतन्त्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर वर्ष 2022 में तैयार हो जाएगा। नए संसद भवन में पेपरलेस सचिवालय का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

नए संसद भवन में पेपरलेस सचिवालय बनाए जाने का प्रस्ताव

भारत के माननीय प्रधानमंत्री 10 दिसंबर, 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखते हुए।

माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अध्यक्ष, लोक सभा तथा अन्य गण्यमान्य व्यक्ति इस अवसर पर फ़लक का अनावरण करते हुए।

संसद भवन का आतंरिक दृश्य

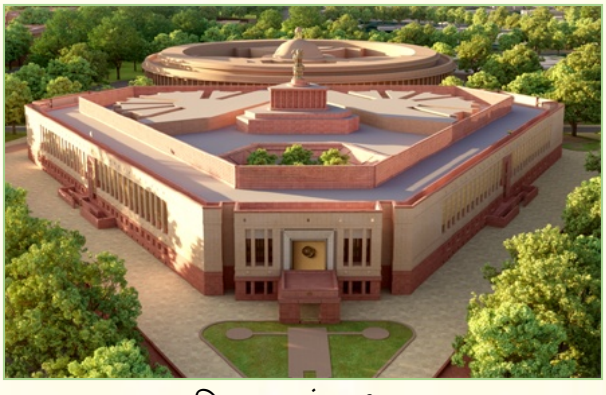

प्रस्तावित नए संसद भवन का दृश्य

संसदीय समितियां
मिनी पार्लियामेंट

लोक सभा अपना अधिकांश कार्य उन समितियों के माध्यम से करती ,है जो न केवल कार्यपालिका की निगरानी करती है, अपितु नीतिगत और विधायी मामलों में मूल्यवान मार्गदर्शन भी प्रदान करती हैं। सदन के प्रबंधन और संचालन में संसदीय समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने समितियों के कामकाज में गहरी रूचि ली है और समिति प्रणाली को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं।

लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला लोक लेखा समिति के सदस्यों के साथ

समितियों के प्रभावी कार्यकरण के लिए माननीय अध्यक्ष के सुझाव :

- आम नागरिकों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विषय का चयन किया जाना चाहिए।.
- समिति शाखाओं को समितियों की बैठकों के दौरान सदस्यों की अधिक से अधिक भागीदारी और उपस्थिति सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए।
- समिति शाखाओं को चुने गए विषयों पर गहन शोध करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रारूप प्रतिवेदन व्यापक, संपूर्ण और संगत हो ।
- समिति और समिति शाखाओं को सिफारिशों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ लगातार सम्पर्क बनाए रखना चाहिए।

लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए

माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में 10 फरवरी 2020 को 19 वर्षों के बाद सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति की बैठक आयोजित की गई ।

समिति की बैठक

17वीं लोक सभा के पहले दो वर्षों का एक बड़ा हिस्सा महामारी से प्रभावित रहा, समितियों ने कोविड-उपयुक्त मानदंडों का कड़ाई से पालन करते हुए अपना काम जारी रखकर अपनी उल्लेखनीय कार्यकुशलता दर्शायी।

- **17वीं लोक सभा के पहले दो वर्षों के दौरान समितियों द्वारा कुल 558 बैठकें की गईं। इस अवधि के दौरान समितियों ने सदन में 272 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।**
- **इन प्रतिवेदनों के माध्यम से समितियों द्वारा कुल 2664 सिफारिशें की गईं जिनमें से 1739 सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार किया।**

शोध सहायता

अध्यक्ष के निर्देशन में, समिति शाखाओं ने अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव किया और बेहतर रिपोर्ट बनाने के लिए उपलब्ध जानकारी और शोध प्रभाग की सेवाओं का अधिकाधिक उपयोग किया। लार्डिस सेवाओं ने समितियों को उनकी मांग के अनुसार शोध के माध्यम से व्यापक जानकारी उपलब्ध कराई ।

संसदीय समितियों की उल्लेखनीय सिफारिशें

• अधीनस्थ विधान संबंधी समिति(सीओएसएल) की सिफारिशों के अनुसरण में, उन मापदंडों को व्यापक बनाए जाने के लिए, जिनके आधार पर राजपत्र अधिसूचनाओं की जांच की जाती है, लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 317 और 320 में संशोधन संबंधी ज्ञापन पर 17वीं लोक सभा में विचार किया गया और उसे स्वीकृत किया गया ।

• कृषि संबंधी स्थायी समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर हाल ही में घोषित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में बीमा राशि को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया।

• रक्षा संबंधी समिति की सिफारिशों पर, सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद सृजित किया, 100 सैनिक स्कूलों को मंजूरी दी और सैनिक स्कूलों में बालिका कैडेट लेने की अनुमति दी। मंत्रालय ने सशस्त्र बल चिकित्सा कर्मियों को सेवा में ही रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बॉन्ड राशि को स्नातक स्तर पर 25 लाख रुपये से बढ़ाकर1 करोड़ रुपये और स्नातकोत्तर स्तर पर 28 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया। जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों पर सरकार ने सभी संबंधित हितधारकों के साथ जुड़कर जल निकायों का जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया।

• सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने "माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019" की जांच उपरान्त सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों की सराहना की और उन्हें स्वीकार किया।

• गरीब लोगों के लाभ के लिए बनाई गई केंद्र और राज्य सरकार की सभी स्वास्थ्य सेवाओं के तहत जन औषधि दवाओं के वितरण को अनिवार्य किया गया ।

• जल की लगातार बढ़ती कमी को देखते हुए जल को राष्ट्रीय संसाधन बनाकर राष्ट्रीय जल उपयोग दक्षता ब्यूरो की स्थापना।

नई शुरुआत
लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए क्षमता विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम

आज की तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में, लोक सभा में भाषणों और वाद - विवाद की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए सबसे पहले संसद सदस्यों का ज्ञानवर्धन करके तथा उन्हें सूचना उपलब्ध कराकर उनकी क्षमता विकास करना आवश्यक है। माननीय लोक सभा अध्यक्ष के नेतृत्व में और उनके निर्देशों के अंतर्गत 'संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान' (प्राइड) ने सभी हितधारकों के लाभ के लिए अनेक कार्यक्रम तैयार किए हैं और ग्रंथालय, शोध, संदर्भ, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) में अलग-अलग माध्यमों से उन कार्यक्रमों का आयोजन करने की व्यवस्था की है।

पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण

माननीय अध्यक्ष पंचायती राज संस्थाओं के लिए देहरादून में आयोजित पहुंच और परिचय कार्यक्रम में भाग लेते हुए।

माननीय अध्यक्ष पंचायती राज संस्थाओं के लिए शिलांग में आयोजित पहुंच और परिचय कार्यक्रम में भाग लेते हुए।

स्थानीय स्तर पर कार्य कर रही लोकतांत्रिक संस्थाओं से संपर्क साधने के लिए पहली बार 8 जनवरी 2021 को उत्तराखंड राज्य के देहरादून में और 25 और 26 फरवरी 2021 को 8 पूर्वोत्तर राज्यों हेतु शिलांग में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 'पहुंच और परिचय' कार्यक्रम आयोजित किए गए। उत्तराखंड में लगभग 40,000 प्रतिभागियों ने ऑनलाइन और 445 प्रतिभागियों ने वैयक्तिक रूप से भाग लिया, जबकि मेघालय में 118 प्रतिनिधियों ने वैयक्तिक रूप से और 332 प्रतिभागियों ने ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया ।

17वीं लोकसभा के पहले 2 वर्षों के दौरान संसद सदस्यों और हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण हेतु 216 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए थे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कुल 50,249 प्रतिभागियों ने भाग लिया

माननीय सदस्यों के लिए ब्रीफिंग सत्र

सदन में वाद-विवाद और चर्चाओं के स्तर में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण विधायी कार्यों के संबंध में ब्रीफिंग सत्र शुरू किए गए। इनमें विशेषज्ञों द्वारा सदस्यों को जानकारी दी गई। **17वीं लोक सभा के दौरान महत्वपूर्ण विधेयकों आदि पर संसद सदस्यों के लिए अब तक कुल 43 ब्रीफिंग सत्र आयोजित किए गए हैं।**

19 मार्च 2021 को संसद भवन में संसद सदस्यों के लिए "किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक; 2021" के संबंध में आयोजित ब्रीफिंग सत्र की एक झलक

विधायी और रेफरेंस नोट में वृद्धि

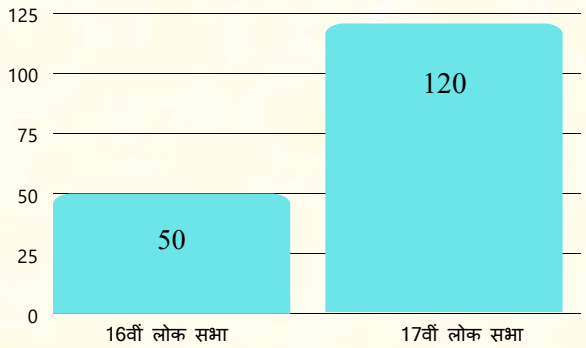

16वीं और 17वीं लोक सभा के पहले पांच सत्रों के दौरान सदस्यों को उपलब्ध कराए गए संदर्भ/विधायी टिप्पणों की तुलना

चित्र. 10

17वीं लोक सभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में माननीय सदस्यों को संबोधित करते हुए माननीय गृह मंत्री महोदय

जून 2019 से मई 2021 तक सदस्यों के कुल 9578 संदर्भों पर जानकारी उपलब्ध करायी गई।

प्राइड के अन्य प्रमुख कार्य

- पहली बार संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, 2021 का आयोजन किया गया। इस महोत्सव ने देश के युवाओं को एक साथ राष्ट्रीय एकता और एकजुटता का उत्सव मनाने का अवसर दिया।
- पहली बार, संसद सदस्यों के लिए पद्म पुरस्कार विजेताओं के साथ एक ऑनलाइन परस्पर संवाद सत्र आयोजित किया गया।
- युवा छात्रों/युवाओं को संसद का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए तीन इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किए गए।
- प्राइड' में विदेशी प्रतिभागियों के लिए कार्यक्रम आयोजित करने पर विशेष ध्यान दिया गया।
- प्राइड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और फेसबुक पर आरंभ किए गए हैं।
- प्राइड द्वारा अन्य देशों की संसदों के संसद सदस्यों और अधिकारियों के लिए कार्यक्रम, संसदीय इंटर्नशिप कार्यक्रम और विभिन्न देशों से अध्ययन दौरों का आयोजन किया गया।
- राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दिवसों पर प्राइड ने कार्यक्रम आयोजित किए जिसके अंतर्गत 8 से 12 मार्च,2021 तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हाइब्रिड मोड के माध्यम से पैनल चर्चाओं की एक श्रृंखला आयोजित की गई और 6 अप्रैल 2021 को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

सदन में चर्चा की गुणवत्ता वृद्धि के प्रयास

माननीय लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में संसद सदस्यों को दी जाने वाली शोध एवं सूचना सहायता को और बेहतर बनाने हेतु 17वीं लोकसभा के दौरान कई नवोन्मेषी और सृजनात्मक कदम उठाए गए हैं। माननीय अध्यक्ष का हमेशा यही प्रयास रहता है कि सचिवालय सक्रियता से संसद सदस्यों के संपर्क में रहे और उन्हें विस्तृत एवं संगत संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराए जिससे कि सदन की कार्यवाही के दौरान वाद-विवाद और चर्चा की गुणवत्ता में और सुधार लाया जा सके।

प्रिज्म

प्रिज़्म, संसद सदस्यों को शोध, संदर्भ, विधायी और पृष्ठभूमि टिप्पण के रूप में, नीतिगत मुद्दों और अन्य विषयों पर प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। इस सेवा को 23 जनवरी 2021 को प्रारंभ किया गया। इसके मुख्य कार्य हैं:

- सदस्यों को चौबीसों घंटे शोध सहायता
- बजट सत्र तक 950 शोध टिप्पण
- 100 से अधिक सदस्यों ने सेवा का लाभ उठाया

अन्य पहल

- पहली बार, 17वीं लोक सभा के 5वें सत्र के दौरान जिन मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर सदन में चर्चा की जा रही थी, उनके लिए शोध टिप्पण तैयार किए गए हैं ।
- पहली बार, सदस्यों के उपयोग के लिए प्रश्न/उत्तर के रूप में शोध टिप्पण प्रारंभ किए गए हैं ।
- हिंदी भाषा में ज़्यादा संख्या में शोध दस्तावेज तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया है।
- अब आर एंड आई डिवीजन के निदेशक पहली बार शोध जानकारी प्रदान करने के लिए विभिन्न संसदीय समितियों के सभापतियों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं।
- अंतर-सत्रावधि के दौरान और लॉकडाउन के दौरान भी शोध और सूचना सहायता प्रदान की गयी ।

संसद ग्रंथालय में सदस्य केंद्रित पहल

संसद ग्रंथालय देश के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक है। माननीय अध्यक्ष का यह प्रयास रहा है कि सदस्यों को उनकी विभिन्न विषयों की जानकारी को बढ़ाने के लिए पुस्तकालय का उपयोग करने में सुविधा मिल सके ताकि वे सदन की कार्यवाही में बेहतर तरीके से भाग ले सकें।

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सदस्यों के निवास पर पुस्तकों की होम डिलीवरी प्रारंभ की गई है।
- संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पुष्पांजलि समारोह के दौरान पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई ।
- सदस्यों के पोर्टल पर लाईब्रेरी इंटरफेस का सृजन किया गया है ।
- राज्य विधानमंडल के सदस्यों को संसद की ग्रंथालय सेवाएँ प्रदान की गयीं हैं ।
- सदस्यों के अध्ययन कक्ष में वर्तमान सदस्यों द्वारा लिखी गई पुस्तकों का प्रदर्शन प्रारंभ किया गया है।
- संसद सदस्यों को ग्रंथालय का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु संसदीय ग्रंथालय में हॉटलाइन / समर्पित टेलीफोन लाइन प्रारंभ की गई है।
- ग्रंथालय संसाधनों के विस्तार के लिए डेलनेट की सदस्यता प्राप्त की गई है ।
- फ़ेसबुक पर संसदीय ग्रंथालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रारंभ किया गया है।

संसद ग्रंथालय

माननीय अध्यक्ष संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पुस्तक प्रदर्शनी में

संसदीय राजनय
लोकतंत्र को सशक्त करने का प्रयास

माननीय अध्यक्ष, लोक सभा, श्री ओम बिरला के नेतृत्व में भारत की संसद ने वैश्विक संसदीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए उद्देश्यपूर्ण कदम उठाए हैं। समग्र विश्व में लोकतांत्रिक ताकतों की प्रगति में दृढ़ विश्वास रखने वाले माननीय लोक सभा अध्यक्ष ने यह सुनिश्चित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सार्थक भागीदारी और योगदान हो।

संसदीय राजनय के विस्तार में भारत की संसद की अग्रणी भूमिका

जून, 2019 - मई 2021 के दौरान भारत संसदीय समूह के इतिहास में यह पहली बार है जब अंतर-संसदीय संघ के दस निकायों में भारतीय सांसदों की सदस्यता है।

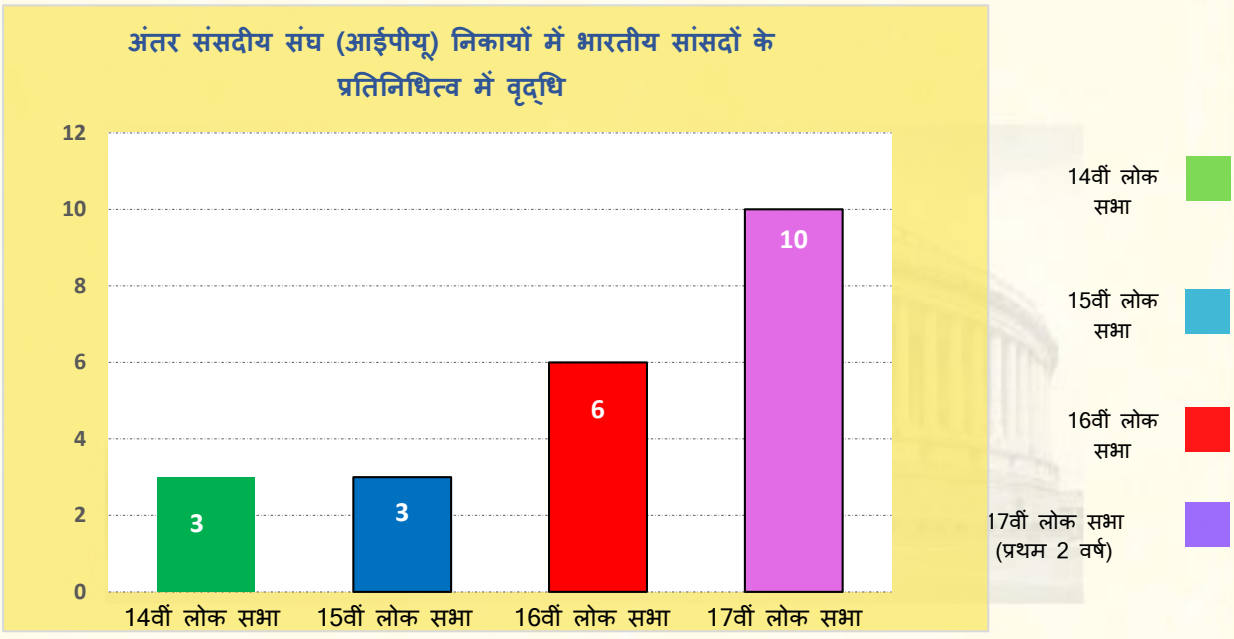

चित्र. 11

माननीय अध्यक्ष के आमंत्रण पर अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) के प्रेसिडेंट महामहिम दुआरते पशेको ने 16 मार्च, 2021 को एक ऐतिहासिक अभिनंदन समारोहमें संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में सदस्यों को संबोधित किया ।

'जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटना' विषय पर एक संकल्प पारित करने के भारत के प्रस्ताव पर सर्वाधिक संख्या में समर्थन में मत प्राप्त हुए और इसे आईपीयू की 141वीं सभा की कार्यसूची में एक आपात मद के रूप में सफलतापूर्वक शामिल किया गया ।

अंतर-संसदीय संघ की सभा में हिन्दी में भाषण देने वाले पहले लोक सभा अध्यक्ष

दक्षिण एशियाई देशों की संसदों के अध्यक्षों के चौथे शिखर सम्मेलन (1-2 सितंबर, 2019) के दौरान सतत विकास लक्ष्यों और जलवायु परिवर्तन के संबंध में भारत द्वारा दिए गए सुझाव को माले घोषणापत्र में सर्वसम्मति से शामिल किया गया ।

माननीय अध्यक्ष ने 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव किया और इसे राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 25वें सम्मेलन (5-9 जनवरी, 2020) में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ।

अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) के प्रेसिडेंट माननीय दुआरते पशेको 16 मार्च, 2021 के केंद्रीय कक्ष में संसद सदस्यों को सम्बोधित करते हुए

माननीय अध्यक्ष ने संसद के अध्यक्षों (स्पीकर्स) के 5वें विश्व सम्मेलन (19-20 अगस्त, 2020) के दौरान अपने संबोधन में 5 आई - इंटरैक्ट, इन्फॉर्म, इम्बाइब, इंप्रूव और इनवॉल्व के अनुपालन के माध्यम से जनता और संसद के बीच की दूरी को पाटने की बात कही।

नवंबर, 2020 में माननीय अध्यक्ष ने अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) के नए प्रेसिडेंट को निर्वाचित करने हेतु शासी परिषद के एक विशेष वर्चुअल सेशन (206वें) में भाग लिया।

मई 2020 से मई 2021 की अवधि के दौरान, संसदीय शिष्टमंडलों ने करीब दो दर्जन उच्च स्तरीय अंतर-संसदीय आयोजनों/कार्यक्रमों में भाग लिया।

माननीय अध्यक्ष विदेश की संसदों के सभी पीठासीन अधिकारियों को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं भेजते रहे हैं तथा नियमित रूप से उनसे संवाद करते रहे हैं । अब तक जन्मदिन के कुल 151 शुभकामना संदेश भेजे गए हैं

माननीय अध्यक्ष ने पहली बार, 142वीं आईपीयू सभा में एक वर्चुअल बैठक को संबोधित किया ।

माननीय अध्यक्ष, लोक सभा ने दक्षिण एशियाई देशों की संसदों के अध्यक्षों के चौथे शिखर सम्मेलन,मालदीव; राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) के 64वें सम्मेलन, युगांडा; जी-20 देशों (पी 20) के अध्यक्षों के छठे शिखर सम्मेलन, टोक्यो और छठे ब्रिक्स संसदीय मंच, सर्बिया; आईपीयू की 141वीं सभा, सर्बिया; में भारतीय संसदीय शिष्टमंडलों की अगुवाई की ।

माननीय अध्यक्ष, लोक सभा, श्री ओम बिरला मालदीव में

माननीय अध्यक्ष, लोक सभा, श्री ओम बिरला 8 जनवरी, 2020 को ओटावा में

लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला 13 अक्तूबर 2019 को बेलग्रेड में अंतर संसदीय संघ की 141वीं सभा में भाग लेते हुए

संविधान दिवस समारोह

भारत के संविधान को अंगीकार किए जाने के दिन अर्थात् संविधान दिवस की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर 26 नवम्बर 2019 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

भारत के महामहिम राष्ट्रपति, श्री रामनाथ कोविंद संविधान दिवस समारोह में माननीय सदस्यों को संबोधित करते हुए।

भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद; उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू; प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी; लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी संविधान दिवस पर 26 नवंबर 2019 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में राज्य सभा के 250वें सत्र के अवसर पर प्रकाशित पुस्तक का लोकार्पण करते हुए।

पीठासीन अधिकारियो का सम्मलेन एवं अन्य कार्यक्रम

- माननीय अध्यक्ष ने देहरादून और केवड़िया में क्रमश: दिसंबर 2019 और नवम्बर, 2020 में आयोजित 79वें और 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (एआईपीओसी) की अध्यक्षता की। 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 नवंबर 2020 को 'संविधान दिवस' के अवसर पर वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से दो दिवसीय 80वें एआईपीओसी सम्मेलन के समापन-सत्र को संबोधित किया।
- माननीय अध्यक्ष द्वारा 19 अप्रैल, 2021 को "कोविड-19 की मौजूदा स्थिति और जनप्रतिनिधियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व" विषय पर राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियोंऔर अन्य नेताओं की एक वर्चुअल बैठक बुलाई गई। अप्रैल 2020 में महामारी फैलने पर ऐसी ही बैठक आयोजित की गई थी।
- 'संसदीय कूटनीति' पर एक प्रकाशन जारी किया गया, जिसमें माननीय अध्यक्ष द्वारा विभिन्न अंतर-संसदीय सम्मेलनों/ बैठकों के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण भाषणों को शामिल किया गया है।

भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, केवड़िया, गुजरात में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए

भारत के महामहिम राष्ट्रपति, श्री रामनाथ कोविंद, माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू और माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और अन्य गणमान्य व्यक्ति 25 नवम्बर 2020 को केवड़िया, गुजरात में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में

लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला 17वीं राजस्थान विधान सभा के प्रबोधन कार्यक्रम में भाग लेते हुए

लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला लखनऊ में 7वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन में भाग लेते हुए

लोकसभा की सेवा में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग

संसद सदस्यों के लिए	• लोकसभा के कामकाज में दक्षता बढ़ाने, अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने और हरित समाधानों को बढ़ावा देने, में डिजिटल प्रौद्योगिकी की प्रभावकारिता में माननीय अध्यक्ष का दृढ़ विश्वास है। इस दिशा में किए गए नवाचार नीचे दिए गए हैं:-
नए कदम	• सत्र के आरंभ होने के संबंध में प्रत्येक सदस्य को जारी किए जाने वाले समन सदस्यों के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड किए गए थे। सदस्य पोर्टल पर "आज के पत्र" टैब के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसदीय पत्र देख सकते हैं।
संसदीय पत्रों के ई-ट्रांसमिशन को सुदृढ़ करना एवं ई-बजट	• पहली बार, माननीय अध्यक्ष के अनुमोदन पर पेपरलेस बजट लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और सदस्यों के पोर्टल के माध्यम से सदस्यों को डिजिटल माध्यम से वितरित किया गया था।
सदस्यों की भागीदारी के वीडियो क्लिपिंग	• सदन में सदस्यों की भागीदारी के वीडियो क्लिपिंग को एक लिंक के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए एप्लिकेशन विकसित किया गया है। सदन की कार्यवाही की वीडियो क्लिपिंग एलएसटीवी वेबसाइट पर जनता के देखने के लिए उपलब्ध कराई जाती है
रिस्पांसिव मेम्बर्स पोर्टल	• सदस्यों के पोर्टल को रिस्पांसिव वेब डिज़ाइन के साथ तैयार किया गया है। डिज़ाइन सामग्री को व्यवस्थित करता है और इसे किसी भी उपकरण, जैसे - डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल फोन में ठीक से देखा जा सकता है।
ऑनलाइन बिल ट्रैकिंग सिस्टम (बीटीएस)	• सदस्यों द्वारा जमा किए गए टीए/डीए/कंप्यूटर एडवांस /चिकित्सा से संबंधित बिलों की स्थिति को उनके द्वारा ऑनलाइन देखा जा सकता है।
उपस्थिति के लिए मोबाइल ऐप शुरू किया गया	• सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज़ करने के लिए पहली बार मोबाइल एप विकसित किया गया।
अनुरोधों/सूचना का ऑनलाइन पंजीकरण	• कल्याण शाखा से सदस्यों द्वारा किए गए अनुरोधों/शिकायतों/ माँगी गयी सूचना के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए सॉफ्टवेयर/डैशबोर्ड विकसित किया गया।
सदस्यों की भागीदारी के प्रबंधन हेतु मॉड्यूल	• सदन के कार्यों में सदस्यों की भागीदारी के प्रबंधन हेतु एक मॉड्यूल विकसित किया गया।
दिवंगत सांसद/पूर्व सांसद के बारे में जानकारी	• एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन विकसित किया गया, जिसके माध्यम से दिवंगत सांसद/पूर्व सांसद के परिजन या संबंधित जिला के अधिकारीगण लोक सभा की वेबसाइट पर जानकारी पोस्ट कर सकते हैं।

पेपरलेस ऑफिस और हाई-टेक इन हाउस प्रिंटिंग

- उच्च गति वाली हाई-टेक प्रिंटिंग मशीनों का अधिग्रहण।
- नवीनतम मुद्रण और डेस्कटॉप प्रकाशन सॉफ्टवेयर के साथ-साथ नई मशीनों के संचालन के संबंध में अधिकारियों का प्रशिक्षण।
- विभिन्न शाखाओं के अधिकारियों को मुद्रित किए जाने वाले दस्तावेजों को तैयार करने की मानक प्रक्रियाओं के संबंध में प्रशिक्षण।
- प्रश्न सूचियों के हिंदी संस्करण अब कार्यालय में मुद्रित किये जाते हैं। इससे बड़ी मात्रा में धनराशि की बचत हुई है।
- विधायी कागजात की छपाई अब पूरी तरह से कार्यालय में ही की जाती है।
- कम मात्रा वाले कलर प्रिंटिंग के काम कार्यालय में ही किए जा रहे हैं।
- आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन के परिणामस्वरूप पिछले वित्तीय वर्ष में 9 करोड़ की बचत हुई। आने वाले वित्तीय वर्ष में यह बचत बढ़कर 10 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है जो कि भविष्य में वार्षिक बचत होगी।

ई-भविष्य

'भविष्य'- ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली

नियम 377 के अंतर्गत दिए गये उत्तर

•नियम 377 के अंतर्गत दिए गए उत्तरों की निगरानी के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है।

भाषणों की वीडियो रिकॉर्डिंग को अपलोड करना

एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है जिसके तहत 17वीं लोकसभा के पहले सत्र से लेकर बजट सत्र 2021 के अंत तक सदस्यों के सभी भाषणों को सदस्यों के पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

सांसदों को डिजिटल माध्यम का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना

•सांसदों को डिजिटल माध्यम का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कंप्यूटर प्रदान किए जाने संबंधी योजना के तहत सदस्यों के खाते में निधियों का हस्तांतरण।

डिजिटल प्रदर्शनी

पहली बार, भारतीय संविधान की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर नवंबर 2019 में 'भारत के संविधान के इतिहास' पर एक डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

महत्वपूर्ण फाइलों / दस्तावेजों का डिजिटलीकरण-

अभिलेख शाखा द्वारा महत्वपूर्ण दस्तावेजों /फाइलों/ अभिलेखों के डिजिटलीकरण के परिणामस्वरूप 2019 वर्ग फुट का क्षेत्र खाली हुआ।12

तकनीकी पहल

अधिकारियों की संबद्ध एजेंसियों के साथ सामूहिक ऑडियो और वीडियो बैठकों से कार्य के त्वरित निपटान में सहायता मिली

मुख्य समिति कक्ष में नवीनतम वीडियो डिस्प्ले प्रणाली के साथ स्थायी स्क्रीन स्थापित किया गया है जिसमें एलईडी इंडोर वीडियो वॉल शामिल हैं ।

लोक सभा टीवी चैनल की रिकॉर्डिंग प्रणाली में बदलाव किये गये। अब लोकसभा की कार्यवाही और एलएसटीवी कार्यक्रमों की वीडियो रिकॉर्डिंग का अभिलेखीय भंडारण पुराने डी वी सी प्रो टेप के स्थान पर एक्स डी कैम प्रोफेशनल डिस्क पर डिजिटल प्रारूप में किया जा रहा है।

संसद भवन संपदा में कैशलेस लेनदेन के लिए सदस्यों को रुपे प्री पेड डेबिट कार्ड प्रदान किए गए हैं।

सामाजिक दूरी सम्बंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा कक्ष की दीर्घाओं में अतिरिक्त चैनल सिलेक्टर्स (ऑडियो सिस्टम)

साल 1992 से लोक सभा में पूर्व प्रधानमंत्रियों के भाषणों की ऑडियो रिकॉर्डिंग को संसदीय ग्रन्थालय के वेबपेज पर अपलोड किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया

- लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए नागरिकों को संसद की विभिन्न गतिविधियों के प्रति जागरूक रखने और जानकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है । माननीय अध्यक्ष के निदेशानुसार भारत की संसद ने जनता और संसद के बीच सशक्त संपर्क स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ।

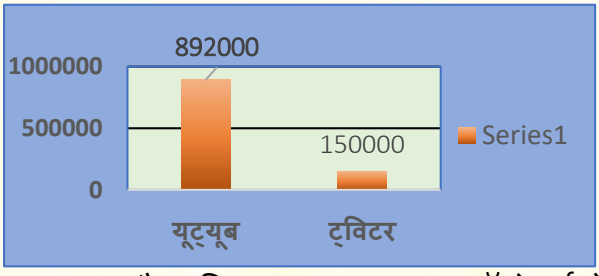

- यूट्यूब पर 892 हजार सब्स्क्राइबर और ट्विटर पर 150 हजार फॉलोअर्स के साथ लोक सभा टेलीविज़न की सोशल मीडिया पर बढ़ती हुई मौजूदगी ।
- सोशल मीडिया के लिए लोक सभा सचिवालय के ट्विटर हैंडल पर एक लाख बीस हजार से अधिक फॉलोअर हैं ।
- माननीय अध्यक्ष द्वारा महत्वपूर्ण अवसरों पर दिए गए वीडियो संदेशों का विशेष कवरेज ।
- संसद सदस्यों को उनके जन्मदिवस पर बधाई संदेश के साथ उनकी वैयक्तिक और राजनीतिक यात्रा पर प्रकाश डालते हुए विशेष रूप से बनाए गए कैप्सूल का प्रसारण ।
- एस.एम.एस/व्हाट्सएप/ई-मेल/ संसद सदस्य पोर्टल के माध्यम से संसद सदस्यों के भाषणों को तुरंत उपलब्ध कराया जाता है और इन्हें लोक सभा टेलीविजन (एलएसटीवी) पर भी अपलोड किया जाता है ।
- संसदीय समितियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर विशेष बुलेटिन का प्रसारण ताकि नागरिकों को विभिन्न समितियों द्वारा की गई सिफारिशों और उनके कार्यान्वयन संबंधी नवीनतम जानकारी मिलती रहे ।
- संसदीय/ विधायी/ क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों से दर्शकों को भलीभांति अवगत कराने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरु किए गए ।

8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला पत्रकारों के साथ लोक सभा अध्यक्ष

आधुनिक जनसंचार माध्यमों से सूचना का प्रसार

• 17वीं लोक सभा के दौरान लोक सभा की कार्यवाही और कार्यों के संबंध में जानकारी प्रदान करने हेतु पारंपरिक साधनों के स्थान पर आई-टी समर्थित प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों का उपयोग किया गया।
• 17वीं लोक सभा के पहले पांच सत्रों के दौरान हुए महत्वपूर्ण कार्य का व्यापक रूप से प्रसार हुआ ।

• पीपीआर का अब 'फेसबुक' और 'ट्विटर' हैंडल भी है जो संसदीय घटनाक्रमों और कार्यकलापों के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से सहायक है । पीपीआर द्वारा 17वीं लोक सभा के पहले दो वर्षों के दौरान 7123 ट्वीट भी जारी किए गए हैं ।

• कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, संसदीय रिपोर्ट अब इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किए जाते हैं और उनकी महत्वपूर्ण सिफारिशें सोशल मीडिया पर साझा की जाती हैं ।

• संसद द्वारा जनसंपर्क को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से पीपीआर में एक सोशल मीडिया और संचार प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है ।

• पीपीआर की सक्रिय, समर्पित और नवीनीकृत वेबसाइट अधिक यूजर फ्रेंडली है और इसके माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति प्राप्त करना सुगम हो गया है ।

• मीडियाकर्मियों के लिए दो विशिष्ट कैंटीन, मीडिया स्टैंड, कम्प्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क कनेक्टिविटी, संसद ग्रंथालय के उपयोग और अधिक संख्या में सुरक्षा पास की सुविधा प्रदान करने तथा मुख्य रूप से कोविड जांच की सुविधा प्रदान करने जैसी लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की गयी ।

• जनसम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से पहली बार गणमान्य व्यक्तियों के जन्मदिन/विशेष दिनों का डाटाबेस तैयार करने और शोक, अभिनंदन तथा अन्य पत्रों का प्रारूप तैयार करने की पहल की गयी ।

हरित संसद की ओर: पर्यावरण संबंधी पहल

वृक्षों, लॉन और बगीचों से सुसज्जित संसद भवन परिसर क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी के सबसे सुंदरतम क्षेत्रों में से एक है। माननीय अध्यक्ष महोदय की यह परिकल्पना है कि हरित क्षेत्र का और विस्तार किया जाए ताकि इसे एक दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल संसद परिसर बनाया जा सके।

माननीय अध्यक्ष ने गांधीजी की 150 वीं जयंती के समारोह की शुरुआत के उपलक्ष्य में जुलाई 2019 में संसद भवन संपदा में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया

माननीय अध्यक्ष जुलाई 2019 में माननीय प्रधानमंत्री और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संसद परिसर में पौधा लगाते हुए

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

माननीय अध्यक्ष संसद भवन परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग सत्र में भाग लेते हुए

गो ग्रीन: पर्यावरण संबंधी पहल

डिजिटल और पेपरलेस अपनाओ;

संसद ई-कार्यालय, सभी सूचनाएँ डिजिटल प्रारूप में;गत दो वर्षों में 15 मिलियन पृष्ठों की बचत होने से हमने पंद्रह सौ पेड़ों को बचाया

पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण;

कांच की बोतलों का उपयोग, कागज के दोनों तरफ प्रिंट

इलेक्ट्रिक वाहन, ई-रिक्शा को बढ़ावा देना;

60% सांसद इलेक्ट्रिक फेरी वाहनों का इस्तेमाल करना पसंद कर रहे हैं।

गैर पुन:प्रयोज्य प्लास्टिक को ना कहें (पॉलीथीन के उपयोग पर प्रतिबंध)

पर्यावरण अनुकूल और बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा

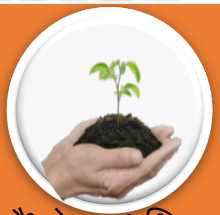

पौधरोपण अभियान और पौधों का नियमित रखरखाव। 17वीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान संसद परिसर में एक नया औषधीय उद्यान तैयार किया गया है।

नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा।

(सौर पैनलों और दिन की रोशनी का उपयोग। पारंपरिक प्रकाश वाले बल्बों का ऊर्जा दक्ष एल ई डी बल्बों से प्रतिस्थापन

कैंटीनों में कोई खाद्य अपशिष्ट न हो और पानी बचाओ संबंधी पहल।

नए संसद भवन को ऊर्जा, जल और कागज की बचत वाली प्रभावी और आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से संसद परिसर क्षेत्र में हरित अपनाओ आंदोलन को और अधिक बढ़ावा देने तथा अपशिष्ट सामग्री के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग पर जोर देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि कम से कम वृक्ष प्रभावित हों।

बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पहल

माननीय सदस्यों के कल्याण में माननीय अध्यक्ष की गहन रुचि के कारण, संसद सदस्यों तथा लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को चौबीसों घंटे चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए गए हैं।

माननीय अध्यक्ष और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति संसद भवन परिसर में मेगा स्वास्थ्य शिविर के उद्घाटन के अवसर पर

स्वास्थ्य संबंधी पहल

चिकित्सा केंद्र का उन्नयन, 24x7 एम्बुलेंस सुविधा

चिकित्सा केंद्र में चिकित्सा सेवाओं का दायरा बढ़ाने के लिए **अंतःस्राव रोग(एंडोक्रीनोलोजी), किडनी रोग (नेफ्रोलोजी) और जठरान्त्र रोग (गैस्ट्रोएन्टेरोलोजी),** इन तीन विधाओं के रोग विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। संसद सदस्यों के लिए 24x7 एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराई गई।

मेगा स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता कार्यक्रम

कोविड पश्चात देखभाल से संबन्धित ऑनलाइन कार्यशाला-संसद सदस्यों के लिए 3 प्रबोधन और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। 28 मई, 2021 को 'कोविड पश्चात देखभाल', शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ से संबन्धित ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कोविड संबंधी पहल

संसद भवन परिसर में कोविड परीक्षण और टीकाकरण केंद्र

कुल **17124** कोविड परीक्षण किए गए और संसद भवन परिसर के दो टीकाकरण केन्द्रों में अब तक **3625 व्यक्तियों को टीका लगाया** गया।

कोविड-19 सुरक्षा किट का वितरण

दो अवसरों पर, **माननीय संसद सदस्यों के दिल्ली स्थित आवासों पर कोविड-19 सुरक्षा किट** वितरित किए गए।.

राज्यों के साथ समन्वय के लिए नियंत्रण कक्ष

कोविड से निपटने में आपातकालीन सहायता के लिए **संसद सदस्यों, विधानमंडल के सदस्यों और जनता** के बीच शीघ्र संपर्क की सुविधा के लिए लोक सभा सचिवालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया।

पीएम केयर्स फंड में अंशदान

लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पीएम केयर्स फंड में एक दिन के वेतन का अंशदान किया जो लगभग 45 लाख रुपया था।

नया संसद भवन